

# जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 15.06.2021

**थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 6 KG गांजा व 330 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाउडर नाजायज व एक मो0 सा0 हीरो डीलक्स न0 UP24CH-1850 बरामद-**

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक महोदय के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 ईरज रजा महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ0नि0 सौरभ कुमार की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 14/6/21 को सौन्दा कट के पास से 03 नफर अभियुक्त गण (1) कादिर पुत्र स्व0 शकील अहमद निवासी सरकारी स्कूल के नाले के पास किदवई नगर थाना मोदीनगर गा0 बाद (2) तैयब पुत्र स्व0 नाजिर निवासी म0 न0 254 गली न0 2 किदवईनगर थाना मोदीनगर गा0 बाद (3) अलाउददीन पुत्र अब्दुल करीम निवासी हसीना का किराये का मकान गली न0 10 किदवईनगर थाना मोदीनगर गा0 बाद को मय 6 KG गांजा नाजायज व 330 ग्राम ALPRAZOLAM नशीला पाउडर एव मो0 सा0 हीरो डीलक्स न0 UP24CH-1850 के साथ समय 23.45 बजे गिरफ्तार किया गया जिस सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर (1) अ0स0- 651/21 धारा 8/20/21 NDPS Act बनाम् कादिर उपरोक्त थाना मोदीनगर (2) अ0सं0- 652/21 धारा 8/20/21 NDPS Act बनाम् तैयब उपरोक्त थाना मोदीनगर (3) अ0सं0- 653/21 धारा 8/20/21 NDPS Act बनाम् अलाउददीन उपरोक्त थाना मोदीनगर पर पंजीकृत किये गये। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त गण

- कादिर पुत्र स्व0 शकील अहमद निवासी सरकारी स्कूल के नाले के पास किदवई नगर थाना मोदीनगर गा0 बाद उम्र 21 वर्ष
- तैयब पुत्र स्व0 नाजिर निवासी म0 न0 254 गली न0 2 किदवईनगर थाना मोदीनगर गा0 बाद उम्र 22 वर्ष
- अलाउददीन पुत्र अब्दुल करीम निवासी हसीना का किराये का मकान गली न0 10 किदवईनगर थाना मोदीनगर गा0 बाद उम्र 50 वर्ष।
- **बरामदगी का विवरण**
  1. अभि0कादिर से 2 KG गांजा 120 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाऊडर
  2. अभि0तैयब से 2 KG गांजा 110 ग्राम अल्प्राजोलम नशीला पाऊडर
  3. अभि0 अलाउददीन से 2 KG गांजा 100 ग्राम अल्प्राजोलम पाऊडर एंव एक मो0 सा0 हीरो डीलक्स न0 UP24CH-1850 (सीज)

## अपराध करने का तरीका -

- अभि0 गण द्वारा घूम फिर कर नशा करने वाले व्यक्तियों को नशीला पदार्थ गांजा/अल्प्राजोलम पाऊडर की बिक्री करना।

## गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 श्री सौरभ कुमार
- 2-उ0नि0 प्रशान्त कुमार गौतम
- 3-है0 का0 हरकेश कुमार
- 4-कां0 अखिल कुमार

## पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- (1) अ0स0- 651/21 धारा 8/20/21 NDPS Act बनाम् कादिर उपरोक्त थाना मोदीनगर।
- (2) अ0सं0- 652/21 धारा 8/20/21 NDPS Act बनाम् तैयब उपरोक्त थाना मोदीनगर मु0 अ0 स0 893/20 धारा 363/366/511/506 भादवि थाना मोदीनगर।
- (3) अ0सं0- 653/21 धारा 8/20/21 NDPS Act बनाम् अलाउददीन उपरोक्त थाना मोदीनगर।



**दिनांक-15.06.21 थाना भोजपुर, गाजियाबाद**

**थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 368/21 धारा 354/354क/352/504 भादवि. में वांछित गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा रोकथाम अपराध / वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 368/21 धारा 354/354क/352/504 भादवि. में वांछित अभियुक्त रिकू पुत्र ब्रहमदास नि0 ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गा0बाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रिकू पुत्र ब्रहमदास निवासी ग्राम चुडियाला थाना भोजपुर गाजियाबाद

### अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 368/21 धारा 354/354क/352/504 भादवि.

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार लोहनी, थाना भोजपुर गाजियाबाद।
2. म0उ0नि0 रश्मि कुन्तल थाना भोजपुर गाजियाबाद।
3. हे0कां0 916 पदम सिंह थाना भोजपुर, गाजियाबाद।



### थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थों तस्करो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 14.06.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त अनिकेत को 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ पानी की टंकी के पास, लाल क्वार्टर थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

#### **\*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त\***

1. अनिकेत पुत्र नरेश, नि. म.नं. 50, गली नं. 1, लाल क्वार्टर, थाना विजयनगर, गा.बाद

#### **\*पंजीकृत अभियोगों का विवरण\***

1- मु.अ.सं. 851/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम

#### **\*बरामदगी का विवरण\***

1- 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज

#### **\*गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली पुलिस टीम\***

1- प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह

2- SI श्री राजकुमार सिंह

3- कां0 2905 नरेन्द्र सिंह

4- कां0 31 मोहसिन



## **थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा NCR क्षेत्र में अवैध गांजे की बिक्री करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को**

### **2.300 कि.ग्रा. सहित गिरफ्तार ।**



श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.06.2021 को आनन्द विहार बोर्डर के पास से अवैध गांजे की बिक्री करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1.कालू पण्डित S/O अनिल कुमार शर्मा R/O भोवापुर राजेन्द्र के मकान में किरायेदार उम्र 28 वर्ष मूल पता ग्रा0 सहरोई तहसील खैर थाना खैर जिला अलीगढ़

(उ0प्र0) 2.अनवर S/O महमूद खान R/O प्रताप बिहार खोडा कालोनी बीरबल चौकी थाना खोडा बताया मूल पता ग्रा0 कुशमरा थाना किशनी तहसील भोगाम जिला मैनपुरी (उ0प्र0) को मय 2.300 कि.ग्रा. अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है ।

### **अपराध कारित करने का तरीका-**

अभियुक्तों NCR क्षेत्र में अवैध गांजे की बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करना ।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-**

1.कालू पण्डित S/O अनिल कुमार शर्मा R/O भोवापुर राजेन्द्र के मकान में किरायेदार उम्र 28 वर्ष मूल पता ग्रा0 सहरोई तहसील खैर थाना खैर जिला अलीगढ़ (उ0प्र0)

2.अनवर S/O महमूद खान R/O प्रताप बिहार खोडा कालोनी बीरबल चौकी थाना खोडा बताया मूल पता ग्रा0 कुशमरा थाना किशनी तहसील भोगाम जिला मैनपुरी (उ0प्र0)

### **अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास का विवरण -**

1. मु0अ0सं0 480/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना कौशाम्बी गा0बाद ।
  2. मु0अ0सं0 481/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना कौशाम्बी गा0बाद । ।
- व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है ।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. अभि0 कालू पण्डित से 1.200 कि.ग्रा. अवैध गांजा बरामद ।
2. अभि0 अनवर से 1.100 कि.ग्रा. अवैध गांजा बरामद ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह थाना कौशाम्बी
2. उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह
3. का0 2769 पुष्पेन्द्र सिंह
4. का0 2197 राजपाल सिंह

## **25 किलो नाजायज गांजा सहित 02 नफर शातिर अभियुक्तों गांजा तस्करी गिरफ्तार**

दिनांक:- 15/06/2021

**कार्यवाही:-** श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध की रोकथाम/अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दिनांक-15.06.21 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गाजियाबाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 लोमेश कुमार द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1-हरिऔम पुत्र जयपाल सिंह निवासी-ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत 2-श्रीऔम पुत्र जयपाल सिंह निवासी-ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उस्मान गढी तिराहे से नायफल की तरफ मुख्य सडक से 25 किलो नाजायज गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु0अ0सं0 520/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम हरिऔम व मु0अ0सं0-521/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम श्रीऔम पंजीकृत किया गया।

**अपराध करने का तरीका** – अभियुक्तगण आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु गांजा तस्करी करने का काम करते हैं। दिनांक 15.06.21 को अभियुक्तगण 1-हरिऔम व 2- श्रीऔम उपरोक्त 25 किलो नाजायज गांजा के साथ उस्मान गढी तिराहे से नायफल की तरफ मुख्य सडक पर पैदल-पैदल गांजा तस्करी के लिए जा रहे थे। दौराने गस्त/चौकिंग उ0नि0 श्री लोमेश कुमार मय टीम द्वारा अभि0गण 1-हरिऔम व 2- श्रीऔम उपरोक्त को समय लगभग 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर गांजा सप्लाई करने वालो को चिन्हित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **नाम पता अभियुक्तगण-**

- 1-हरिऔम पुत्र जयपाल सिंह निवासी-ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब-38 वर्ष
- 2-श्रीऔम पुत्र जयपाल सिंह निवासी-ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत उम्र करीब-29 वर्ष

#### **बरामदगी का विवरण:-**

- (1) 25 किलो नाजायज गांजा ,

#### **पंजीकृत अभियोग-**

- (1) मु0अ0सं0 520/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद. बनाम हरिऔम
- (2) मु0अ0सं0 521/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद. बनाम श्रीऔम

#### **गिरफ्तारी / पर्यवेक्षण करने वाली टीम –**

- (1) उ0नि0 लोमेश कुमार
- (2) उ0नि0 अनुराग सिंह
- (3) है0का0 633 मुकेश कुमार
- (4) है0का0 1088 सतेन्द्र बालियान
- (5) है0का0 657 अरुण कुमार
- (6) है0का0 1416 विपिन कुमार
- (7) का0 904 अनिल कुमार
- (8) का0 1219 विकाश बालियान



### **01 नफर शातिर वांछित लुटेरा गिरफ्तार।**

(पुलिस मुठभेद) थाना मसूरी

दिनांक:- 15/06/2021

**कार्यवाही** -श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी/अपराध पर नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल

निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि० 14.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब दिनांक 14.06.21 की लूट की घटना का अनावरण करते हुए प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र सलीम निवासी ग्राम बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को पुलिस मुठभेड के दौरान दिनांक 14/6/21 को समय 23.30 बजे मेरठ एक्सप्रेसवे के पास कुशलिया अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पार्टी मु०अ०स० 517/21 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित अभिगणो की तलाश कर रही थी जिस दौरान 03 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये जो पुलिस को देखकर भागने लगे पुलिस पार्टी ने पीछा किया तो पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने लगे जिसमें है०कै० 359 राजपाल सिंह घायल हो गये पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में कमर से नीचे फायर किया जिससे अभि० गुल्लू उर्फ गुलफाम पुत्र निवासी ग्राम बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी गा०बाद के बांये पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर य 02 जिन्दा व एक खोखा कारतूस व मु०अ०स०-517/21 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित एक अदद मोबाइल बरामद हुआ। अंधेरे का फायदा उठाकर अभि० गुलफाम उपरोक्त के 02 अन्य साथी फरार हो गये। जिनकी तलाश की जा रही है। उपरोक्त सम्बन्ध में मु०अ०स०-518/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व मु०अ०स०-519/2021 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **घटना का संक्षिप्त विवरण**

श्री नितिन सागवान पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम नूरपुर थाना मसूरी गा०बाद की तहरीरी की सूचना पर दिनांक 14/6/21 को मेरठ एक्सप्रेसवे कुशलिया के पास तीन अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी से तमंचे व चाकू के बल पर दो मोबाइल ,टैब ,छोटा प्रिन्टर,पर्स में पैन कार्ड व आधार कार्ड आदि लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०स०-517/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया था जिस पर थाना मसूरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये घटना अनावरण करते हुये प्रकाश में आये तीन नफर अभियुक्त गुल्लू उर्फ गुलफाम पुत्र सलीम 02-आसिफ पुत्र शकील 03-निजाम पुत्र अजमुद्दीन समस्त निवासीगण बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी गा०बाद में से दौराने पुलिस मुठभेड अभियुक्त गुल्लू उर्फ गुलफाम उपरोक्त को दिनांक 14/6/21 को समय 23.30 बजे मेरठ एक्सप्रेसवे के पास कुशलिया अण्डर पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

गुल्लू उर्फ गुलफाम पुत्र सलीम निवासी ग्राम बब्बलगढी कुशलिया थाना मसूरी गा०बाद

### **बरामदगी का विवरण**

- (1)एक अदद तमंचा 315 बोर व दो जिन्दा कार०व एक खोखा कार०
- (2)एक अदद मोबाइल लूट का बरामद

### **आपराधिक इतिहास अभि० गुलफाम उर्फ गुल्लू-**

1. मु०अ०स० 517/21 धारा 392/411 भादवि थाना मसूरी
2. मु०अ०स०518/2021 धारा 307 भादवि थाना मसूरी
3. मु०अ०स०519/2021 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम गुल्लू उर्फ गुलफाम थाना मसूरी
4. मु०अ०स०-18/05 धारा 25/4 ए एक्ट थाना मसूरी
5. मु०अ०स०-656/09 धारा 25/4 ए एक्ट थाना मसूरी
6. मु०अ०स०-149/11 धारा 379/382 भादवि थाना मसूरी
7. मु०अ०स०-783/14 धारा 380/411 भादवि थाना मसूरी
8. मु०अ०स०-290/15 धारा 398/401 भादवि थाना मसूरी

9. मु0अ0स0-543/15 धारा 380/411 भादवि थाना मसूरी
10. मु0अ0स0-545/15 धारा 25/4 ए एक्ट थाना मसूरी
11. मु0अ0स0-515/20 धारा 380 भादवि थाना धौलाना हापुड
12. मु0अ0स0-8/21 धारा 136 वि0अधि0 थाना धौलाना हापुड

### गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र वालियान
3. उ0नि0श्री अनिल कुमार
4. उ0नि0श्री सोनू कुमार
5. का01813 नरेन्द्र कुमार
6. का01830 राहुल शर्मा
7. का0586 सुदेश कुमार



**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 POS मशीन, 01 मोहर, 20 लैटर पैड एम0के0 एन्टरप्राइजेज, 10 क्रेडिट कार्ड, 03 आधार कार्ड, 02 बैंक बुक, 01 पैन कार्ड रसीद व अन्य कागजात बरामद**

दिनांक 15-06-2021

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक: 15-06-2021 को वैष्णो मन्दिर के पीछे रेलवे स्टेशन रोड चौकी क्षेत्र माडल टाउन थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने गश्त मुखबिर की सूचना पर 05 नफर अभियुक्तगण 1. मोमीन खान पुत्र इस्लाम 2. अमजद अल्वी पुत्र युसुफ 3. राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार 4. रवि कुमार पुत्र अनिल कश्यप 5. फिरोज पुत्र युसुफ सम्बन्धित मु0अ0स0 571/2021 धारा 420/406/120 बी/467/468/471 व 34 आईपीसी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से **बरामद 01 POS मशीन, 01 मोहर, 20 लैटर पैड एम0के0 एन्टरप्राइजेज, 10 क्रेडिट कार्ड, 03 आधार कार्ड, 02 बैंक बुक, 01 पैन कार्ड रसीद व अन्य कागजात** बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-571/21 धारा धारा 420/406/120 बी/467/468/471 व 34 आईपीसी पंजीकृत है।

### घटना का विवरण :-

दिनांक 13.06.2021 को इंडिया ट्रानजेक्ट सर्विस लिमिटेड के अधिकारी राजपाल आदित्य द्वारा लिखित तहरीर के द्वारा एफआईआर न0 571/21 धारा 420,406,120 बी भादवि का मुकदमा दर्ज कराया कि इंडिया ट्रानजेक्ट सर्विस लिमिटेड का नाम देश के सभी सरकारी एवं निजी बैंकों के जरूरतानुसार उन व्यापारियों जिनका इन बैंकों में खाता है उनको POS मशीन व उनसे सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध कराते है। POS मशीन

यह यन्त्र है जिससे व्यापारियों के उपभोगता अपना क्रेडिट या डेबिट कार्य से भुगतान करते हैं। शिकायतकर्ता कम्पनी के द्वारा मोमिन खान व 16 अन्य के विरुद्ध के शिकायत इस आशय से दी गयी थी कि दिनांक 06-01-2021 को एक POS मशीन इस आशय से दी गयी थी कि उन्हें अपने व्यापार में इसकी आवश्यकता है। परन्तु मोमिन खान ने अपने साथी के साथ मिलकर फर्जी फर्म बनाकर POS मशीन के माध्यम से फर्जी तरीके से बनाये गये क्रेडिट कार्ड से एम0के0 इन्टरप्राइजेज के अकाउन्ट से लगभग 32,00,000 रुपये 46 ट्रांसजेक्शन के द्वारा निकाल कर धोखाधड़ी कर लिया। अभियुक्तगण मोमिन खान आदि के द्वारा फर्जी आई0डी0 आधार कार्ड आधार पर बैंको में खाता खोलकर डेबिट व क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर POS मशीन के माध्यम से स्क्रेच कराकर तथा बाद में बैंक को यह सूचना देते थे कि तकनीकी कमी से भुगतान का पैसा उपभोगताओं के खाते से कट गया लेकिन फर्म के खाते में नहीं आये हैं जिससे बैंक के द्वारा भुगतान के पैसे फर्जीवाडा करते हुए बैंक से प्राप्त हुए क्रेडिट व डेबिट कार्डधारक के खाता में पैसे ट्रांसफर कर दिये जाते थे। उन पैसे को अभियुक्तगण द्वारा खातों से निकाल लिया तथा इन पैसे की लाईबेलटी इंडिया ट्रानजेक्ट सर्विस लिमिटेड कम्पनी की हो जाती है। इस तरीके से अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में 32 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गयी है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के द्वारा अलग-अलग ट्रेडिंग कम्पनी खोलकर उस कम्पनी के नाम से POS मशीन प्राप्त कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गयी है।

### **अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-**

पकड़े गये अभियुक्तगण के द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम सब लोग एक बैंक व मशीन लगाने वाली कम्पनीयो के साथ ठगी करने का गैंग चलाते हैं। मोमिन खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनवरी 2021 में मोमिन के नाम से एक फर्म एम0के0 इन्टरप्राइजेज तुराबनगर में खोली थी और कम्पनी के नाम से POS मशीन बैंक पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक से फर्म के नाम पर प्राप्त की थी हम लोगो ने अलग-2 आधार कार्ड, पैन कार्ड अन्य फर्जी तरीके से बनाई गई आईडिया से अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड बनवाये और मोमिन के नाम से बनायी गयी फर्म के नाम से ली गयी POS मशीन से अलग अलग क्रेडिट कार्डों से मशीन के द्वारा मोमिन के खाते में लेकर दिन प्रतिदिन चैको के माध्यम से सभी लोग अलग अलग जाकर लगभग 32,00,000 रुपये की धोखाधड़ी किये थे जिसे आपस में सभी में बाँट लेते हैं। हम लोगो द्वारा कुछ दिन पहले भी एक फर्जी फर्म दुर्गा ट्रेडर्स के नाम से बनायी गयी है। अब हम एक और कम्पनी फर्जी तरीके से बनाने के लिये इकट्ठे हुये थे और अपने द्वारा पूर्व कूटरचित आधार कार्ड व अन्य कागजात छल करने के उद्देश्य से लेकर आये थे जो आपके द्वारा बरामद कर लिये गये तथा काफी बने फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज व क्रेडिट कार्ड व आधार कार्ड व POS मशीन हमारे साथी राकेश के पास है।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

- 1- अमजद अल्वी पुत्र युसुफ निवासी गली न0 03 इस्लामनगर थाना कोतवाली नगर जन 117पद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 29।
- 2- राहुल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी म0न0 384 थर्ड फ्लोर ब्लाक न0 01 पंचवटी कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 29।
- 3- रवि कुमार पुत्र अनिल कश्यप निवासी मुकेश अग्रवाल का किराये का मकान गौशाला फाटक थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 37।
- 4- फिरोज पुत्र युसुफ निवासी म0न0 117 गली न0 03 इस्लामनगर थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 26।
- 5- मोमिन खान पुत्र इस्लाम निवासी बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती दादरी थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब वर्ष 28।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त**

मु0असं0-571/21 धारा धारा 420/406/120 बी/467/468/471 व 34भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद

### **गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. उ0नि0 सचिन कुमार तोमर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. उ0नि0 श्री पवेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
4. है0का0 533 पूनम सिंह थाना कोतवाली नगर गा0बाद ।
5. का0 269 अवधेश कुमार थाना कोतवाली नगर गा0बाद
6. का0 3076 अखिलेश (सर्विलांस टीम एस0पी0 सिटी मोहदय) गाजियाबाद
7. का0 2868 अनुज धामा (सर्विलांस टीम एस0पी0 सिटी मोहदय) गाजियाबाद

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 1.** 01 POS मशीन, 01 मोहर,
- 2.** 20 लैटर पैड एम0के0 एन्टरप्राइजेज,
- 3.** 10 क्रेडिट कार्ड,
- 4.** 03 आधार कार्ड,
- 5.** 02 चैक बुक,

## 6. 01 पै न कार्ड रसीद व अन्य कागजात



### **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 10 0000 रुपये (एक लाख रुपये- सम्बन्धित मु0अ0सं0 476/21 धारा 379 भा0द0वि0) व एक अदद चाकू नाजायज व नशीली एल्प्राजोलम की 250 टैबलेट बरामद**

दिनांक 15-06-2021

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम दिनांक: 15/06/2021 को दिल्ली गेट चौकी क्षेत्र घंटाघर थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त जाहिद पुत्र राहिल को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे रुपये 10 0000 रुपये (एक लाख रुपये) व एक अदद चाकू नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0 476/21 धारा 379 भा0द0वि0 व नशीली एल्प्राजोलम की 250 टैबलेट बजन 25 ग्रा0 अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS Act व 4/25 A ACT व गिरफ्तारी बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0- 590/2021 धारा 8/22 NDPS Act , व मु0अ0सं0- 591/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम जाहिद पंजीकृत है। तथा मु0अ0सं0 471/21 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये 1. जाहिद 2. हकीकत ( फरार) अभियुक्त का नाम हकीकत पुत्र मोमीन निवासी न्यू हिडन विहार धोवी घाट थाना साहिवावाद जिला गाजियावाद है

#### **घटना का विवरण:-**

वादी मुकदमा फतेह सिंह S/0 नेहपाल की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 13.05/21 को अभियोग पंजीकृत कराया था कि समय 8.30 से 9.00 बजे अपने निजी वाहन स0- UP-16 ET-0463 Mahindra Pickup से आया था जिसमें मैं समय लगभग बजे के आस पास दुकान वापस आया तो मेरी गाडी में रखे 48,0000 रु0 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया।

#### **अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-**

पकड़े गये अभियुक्त के द्वारा पूछताछ पर बताया कि हमने एक गाडी पिकप से किसी व्यक्ति को रमते राम रोड पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैग से पैसे निकाल देते हुए देखा था तथा उसके पास हमने और पैसे भी देखे थे हम लोग उसके पीछे लग गये थे जब वह व्यक्ति अनाज मण्डी में पिकप लेकर पहुँचा जो अनाज मण्डी में खडी कर दुकान पर चला गया तो मौका पाकर हम लोगो ने पिकप में आगे सीट के बीच में रखे रुपयो के थैले को चोरी कर लिया था जिसमें 480000 रुपये निकले थे मुझे हिस्से में हकीकत ने 180000 रुपये दिये थे उस पैसे से मैंने यह मो0 सा0 खरीदी है और बाकी पैसे मैंने खर्च कर लिया है मेरे पास 100000 रुपये (एक लाख रुपये) जो मेरी मो0 सा0 की डिग्गी में रखे हैं व शेष 300000 रुपये (तीन लाख रुपये) हकीकत के पास है। नशीली गोलिया रखने के सम्बन्ध में बताया कि पूछने पर बताया कि हम लोग अल्प्राजोलम की गोलियों को नशा करने वाले व्यक्तियों महगे दामो में बेचकर अच्छा मुनफा कमाते हैं।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

जाहिद पुत्र राहिल निवासी हज हाउस हिण्डन विहार थाना साहिवावाद जिला गाजियावाद उम्र करीब 28 वर्ष।

#### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाहिद उपरोक्त**

1. मु0अ0सं0 471/2021 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
2. मु 0अ0सं0- 590/2021 धारा 8/22 NDPS Act थाना कोतवाली नगर गा0बाद
3. मु 0अ0सं0- 591/2021 धारा आर्म्स 4/25 थाना कोतवाली नगर गा0बाद
4. मु -0अ0सं0 403/19 धारा 324 भादवि थाना विजय नगर गा0बाद
5. मु-0अ0सं0 634/20 धारा 188 भादवि थाना साहिबाबाद गा0बाद।
6. मु-0अ0सं0 1471/16 धारा 147,148,323,452,504,506 थाना साहिबाबाद गा0बाद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

8. प्र०नि० श्री संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
9. उ० नि० विनेश कुमार थाना कोतवाली नगर गा०बाद
10. उ० नि० मनीष सिंह थाना कोतवाली नगर गा०बाद
11. का० 18 अरुण कुमार चौहान थाना कोतवाली नगर गा०बाद
12. का० 1852 राहुल थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 1,00,000 रुपये (1 लाख रुपये)
2. एक अदद चाकू नाजायज
3. नशीली एल्प्राजोलम की 250 टैबलेट



**थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 15.06.2021 को थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त आबिद पुत्र अनवार निवासी हत्था डेयरी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर हाल पता – खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड को डासना पैरिफेरल पुल के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

उपरोक्त अभियुक्त दिनांक 17.06.2020 से थाना मसूरी के मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था जिसकी विवेचना थाना मुरादनगर द्वारा की जा रही है ।

**नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त –**

आबिद पुत्र अनवार निवासी हत्था डेयरी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्ध नगर हाल पता खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड

**अभियुक्त आबिद का आपराधिक इतिहास**

- मु०अ०सं० 1135/18 धारा 379/411 भादवि थाना मुरादनगर गा०बाद
- मु०अ०सं० 1270/18 धारा 379,411 भादवि थाना मसूरी, गा०बाद
- मु०अ०सं० 983/18 धारा 401,411,413,414 भादवि थाना मसूरी गा०बाद
- मु०अ०सं० 322/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मसूरी, गा०बाद

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1. प्र०नि० श्री अमित कुमार
2. उ०नि० जितेन्द्र यादव
3. का० नीरज पवार
4. का० प्रवेश कुमार



## अबैध शराब के साथ दो अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुरादनगर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही चैकिंग के दौरान दिनांक 14.06.2021 को रेवडी मनौली मार्ग तिराहा अर्जुन की दुकान के पास से दो शराब तस्कर 1. पवन पुत्र श्रीदास 2. आरिफ पुत्र अरशद निवासी गण ग्राम रेवडा रेवडी थाना मुरादनगर गा0बाद को 90 पच्चे देशी शराब मार्का मिस इण्डिया देशी शराब तीव्र के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### नाम पता अभियुक्तगण:-

1. पवन पुत्र श्रीदास नि0 ग्राम रेवडा रेवडी थाना मुरादनगर गा0बाद
2. आरिफ पुत्र अरशद नि0 ग्राम रेवडा रेवडी थाना मुरादनगर गा0बाद

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 616/21 धारा 60 आब0 अधि0 थाना मुरादनगर, गा0बाद

### गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार
2. आब0 नि0 शीलम मिश्रा
3. उ0नि0 सचिन कुमार
4. है0का0 राजकुमार त्यागी
5. है0का0 सुनील कुमार
6. है0का0 आबकारी बलवीर सिंह



## थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.06.2021 को वादी नईम अहमद पुत्र जहीर निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर गा 0बादने अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर लहूलुहान कर घायल कर देने के सम्बंध में थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 614/21 धारा 307,323,504 भादवि पंजीकृत कराया था। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त निसार पुत्र रफीक नि ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद 0 को 14/15.06.2021 की रात्रि को जलालाबाद से गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा शेष अभियुक्त की तलाश जारी है।

### नाम पता अभियुक्त-

निसार पुत्र रफीक नि ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद 0

## आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 614/21 धारा 307,323,504 भादवि\_थाना मुरादनगर गा0बाद

### पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब हमारा जहीर के परिवार से पहले से ही झगडा चला आ रहा है। मैं अपने अपने परिवार के साथ बाजार में गया था। मेरे पिता इन्ही से झगडे के चक्कर में पहले भी जेल गये थो। जो अब पैरोल पर है। नईम को बाजार में अंकेला देख उसके परिवार से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर दिया था। और वहीं पास में बैठे मोची से मैंने चमडा काटने वाला औजार छीन कर नईम को मार दिया था। जब मौके पर गांव के व नईम के परिवार के काफी लोग इकट्ठा हो गये तो मैं अपने परिवार के लोगों के साथ मौके से भाग गया।

### गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार
2. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह
3. है0का0 नरेन्द्र उपाध्याय



### थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गुमशुदा बालक सकुशल बरामद

दिनांक 10.06.2021 को वादी राजेन्द्र कुमार निवासी मुरादनगर गा0बाद ने अपने बेटे कर्मवीर उम्र 12 वर्ष की बिना बताये घर से कहीं चले जाने के सम्बंध में थाना मुरादनगर को सूचना दी, जिस सम्बंध में थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 602/21 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए पडौंसियो एवं परिजनो से पूछताछ कर गुमशुदा बालक कर्मवीर को दिनांक 14.06.2021 को सकुशल बरामद किया

गुमशुदा ने बताया कि वह किसी बात को लेकर नाराज होकर घर से चला गया था गुमशुदा को सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया।

### नाम पता गुमशुदा -

- कर्मवीर उम्र 12 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार नि0 मुरादनगर गाजियाबाद

### गुमशुदा को बरामद करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 श्री अमित कुमार
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार चौहान

### 3. का0 देवेश कुमार

